13-6-22

अभिभाषक श्री एल एल उपस्थित। अभिभाषक रोपी राज्य द्वारा पेश का कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 7-6-22 को स्वारिज हो चुका है अतः उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 7-6-22 को स्वारिज किया जा चुका है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील नामिल निष्प्रभावी होने के कारण रद्दी सा पत्र स्वारिज की जाती है। पत्रावली फाइल शुमार होने बाद तालीक व तामील वारिज करावें।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर